कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 22.03.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–08 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. अरूण कुमार पुत्र गया प्रसाद नि0 अचल नगर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–83/21, 02. श्रवण कुमार पुत्र गुल्ले नि0 अचल नगर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–84/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. राम सूरज पुत्र गिरधारी नि0 बनगॉव थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–80/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. विफई पुत्र रामसागर नि0 वासुदेवपुर भरईया थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–95/21, 02. राम नरेश पुत्र लोटू निवासी वासुदेवपुर भरईया थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–96/21, 03. बीरत पुत्र सन्तू निवासी घुरहु जोत थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–97/21, 04. राम निहाल पुत्र जग प्रसाद निवासी रानी जोत थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–98/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. राम कुमार चौहान पुत्र सोमन नि0 लालपुर लमती थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–88/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. महेश्वरी पुत्र स्व0 जवाहर नि0 खटिकनपुरवा माथेपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 01 किलो यूरिया, 01 किलो नौसादर व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–103/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि0 व 272 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

06. थाना कौडिया द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. पंकज कुमार पुत्र मनिचन्द्र नि0 बेलवा जगतापुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–45/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. राकेश पुत्र वंशराज नि0 पंचायत सचिवालय भदईया थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–96/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

08. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. छबीले पुत्र गोली नि0 धर्मेही थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–90/21, 02. बन्दे पुत्र गोली नि0 धर्मेही थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–91/21, 03. निबरे पुत्र जोखन नि0 धर्मेही थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–92/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

09. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. सत्तन चौहान पुत्र रामफेर, 02. रामअचल चौहान पुत्र रामसहाय, 03. अनीता चौहान पत्नी जोगिंदर चौहान निवासीगण परतापुर नई बस्ती थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम नौशादर व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–91/2021, धारा 60/60(2) आबकारी अधि0 व 272 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र सहदेव नि0 बक्सैला थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को थाना उमरीबेगमगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0–13/21, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 03.02.2021 को वादी रामयत पुत्र गुल्ले नि0 अभईपुर पूरे मेहरबान थाना परसपुर जनपद गोण्डा की लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए फांसी लगा कर जान से मार दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें उमरीबेगमगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर बेलसर चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना तरबगंज पुलिस ने दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त अमित कुमार पाण्डेय पुत्र अशोक कुमार पाण्डेय नि0 गौहानी थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को थाना तरबगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0–75/21, धारा 376.452.504.506.323 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना तरबगंज क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म किया था तथा विरोध करने पर गाली–गुप्ता देते हुए मारा–पीटा था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना तरबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें तरबगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर खास की सूचना पर धौरहरा घाट से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 22.03.2021

अवैध रूप से गैस रीफिलिंग कर आम जनमानस की जान जोखिम में डालने वाला आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. बाबूलाल उर्फ सुखदेव नि0 राममनोरथ नि0 आदमपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–51/21, धारा 285.286.436.427 भादवि, 3/7 ई0सी0 एक्ट व 2/3 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 21.03.2021 को उक्त अभियुक्त आदमपुर बाजार स्थित अपनी दुकान में अवैध रूप से रसोई गैस की रीफिलिंग कर रहा था, गैस रीफिलिंग के दौरान विस्फोट होने से अभियुक्त व उसके भाईयों का मकान/दुकान क्षतिग्रस्त हो गया था। जिसके सम्बन्ध में पूर्ति निरीक्षक अतुल श्रीवास्तव द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें उमरीबेगमगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अविनाश चन्द्र लल्लन पुत्र रामकरन शुक्ला नि0 मल्लापुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–86/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खरगूपुर जनपद जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0–390/19, धारा 379.411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–947/20, धारा 379.411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–951/20, धारा 411.413.419.420.467.468.471 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0–956/20, धारा 379.411.419.420.467.468.471 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

संक्षिप्त विवरण–

जनपद गोण्डा मे अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान मे पुरस्कार घोषित/गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शैलेश कुमार पाण्डेय ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना खरगूपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त अभि0 मु0अ0सं0 155/21, धारा 3(1)यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा में वांछित था। अभियुक्त को थाना खरगूपुर में पंजीकृत अभियोग के तहत माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. व0उ0नि0 विनय कुमार पाण्डेय।
02. उ0नि0 प्रतीक पाण्डेय।
03. हे0का0 शशांक शेखर यादव।
04. हे0का0 विनोद पाण्डेय।
05. हे0का0 अमीर आलम शाही।

थाना कौड़िया ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. हरीराम पुत्र स्व0 रामकरन नि0 ग्राम रामापुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–46/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण–
आज दिनांक 22.03.2021 को थाना कौड़िया के उ0नि0 श्री अजय पाण्डेय मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौड़िया में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 अजय पाण्डेय।
02. हे0का0 राम प्रवेश यादव।
03. हे0का0 शैलेन्द्र यादव।

थाना कटराबाजार ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. कमलेश दीक्षित पुत्र अशेषर दीक्षित नि0 भटपुरवा मौजा देवापसिया थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–97/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण–
आज दिनांक 22.03.2021 को थाना कटराबाजार के उ0नि0 जयप्रकाश यादव मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को नथुनिया मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कटराबाजार में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 जयप्रकाश यादव।

02. का0 नीरज सिंह।
03. का0 सुरेश यादव।
04. का0 सुनील कुमार विश्वकर्मा।

<u>थाना को0 नगर ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार–</u>

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>
01. दुर्गा प्रसाद पुत्र कल्पनाथ शुक्ला नि0 चिलबिला खत्रीपुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>
01. मु0अ0सं0–212/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>
01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

<u>संक्षिप्त विवरण–</u>
आज दिनांक 22.03.2021 को थाना को0 नगर के उ0नि0 ऋषिकेश मणि त्रिपाठी मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को महादेवा क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>
01. उ0नि0 ऋषिकेश मणि त्रिपाठी।
02. का0 गयापति त्रिपाठी।